राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 24/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सुवालाल मीणा पुत्र प्रभु लाल मीणा निवासी राजपुरा, ढोर तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 12-05.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य) व अति0 जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा के विरूद्ध आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन दिनांक 20.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य) व अति0 जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य) व अति0 जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य) व अति0 जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूंचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)